बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या–3/विविध–01–106/2017– 633(3) /स्वा0, पटना, दिनांकः 23/05/2019

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों में मरीजों को ई०डी०एल० के अधीन की जेनरीक दवा प्रेस्काईव करने का निदेश विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत किया गया है, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि बिना कारण चिकित्सा संस्थान के चिकित्सकगण IPD/OPD में ब्रांडेड कंपनी की दवाईयॉ, दवा पर्ची पर लिख दे रहे हैं। फलस्वरूप इन दवा पर्ची में वर्णित दवाईयॉ संस्थान से उपलब्ध नहीं होने पर यह भ्रम की स्थिति बन जाती है कि सरकारी संस्थान में दवा उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 640(12) दिनांक 27.08.2018 में निदेशित है कि बिना पर्याप्त कारणों के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा ब्रांडेड दवाईयॉ मरीजों को प्रेस्क्राव करना विभागीय निर्देश का उल्लंघन होगा । स्पष्ट है कि चिकित्सकगण अपरिहार्य स्थिति में हीं कारण सहित दवा पर्ची पर वाह्‌य दवाईयों का उल्लेख करेंगे ।

अतएव जेनरीक दवाओं का प्रेस्काईव करने हेतु दवा पर्ची के Audit/जॉच हेतु निरीक्षण दल का गठन निम्नवत किया जाता है:–

निरीक्षण दल सं0	निरीक्षण दल के चिकित्सक का नाम/पदनाम	संगत चिकित्सा संस्थान/अस्पताल	सम्वद्ध वाहन एवं चालन
1	2	3	4
1.	डा0 प्रमोद झा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना ।	**BR 01PF-2507** श्री सुरेन्द्र कुमार मो0सं0–9852616841
	डा0 उदय कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।		
2.	डा0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना ।	**BR 01AD-2604** श्री विजय चौधरी मो0सं0–7480908951
	डा0 राघवेन्द्र नारायण ओझा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।		

2. निरीक्षण दल सम्वद्ध चिकित्सा संस्थान/अस्पताल का दिनांक–24 तथा 25 मई को निरीक्षण कर देखेंगे कि विगत एक सप्ताह में OPD वार चिकित्सकों के द्वारा किस प्रकार की दवाओं को Prescribe किया गया है। दवायें ई०डी०एल० में उल्लेखित जेनरीक दवायें हैं या नहीं तथा यदि ब्रांडेड दवायें Prescribe की गयी है तो इनके कारणों को उल्लेखित किया गया है या नहीं। साथ ही IPD/OPD में दवा पर्ची पर किये जानेवाले अनुशंसा को अभिलेखबद्ध करेंगे ।

3. निरीक्षण दल एतद्‌संबंधी प्रतिवेदन ब्रांडेड दवा लिखने वाले चिकित्सकों का दवा पूर्जा का छाया प्रति एवं चिकित्सक का विवरण सहित प्रतिवेदन निरीक्षण के उपरान्त दो दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

ह0/–
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक : 3/विविध–01–106/2017– 633(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 23/05/2019

प्रतिलिपिः विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, स्वा0 के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी स्थापना), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/धावा दल के चिकित्सक/संबंधित चालक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 23/5/2019
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2019\Order-2.1.2019.docx